

अध्याय VI: निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहार

6.1 प्रस्तावना

काले धन पर श्वेत पत्र, काले धन को⁸⁷ “परिसंपत्तियों एवं संसाधनों के रूप में परिभाषित करता है जो कि उसके उत्पादन के समय सार्वजनिक अधिकारियों को न तो सूचित किया गया है और न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय पर इसका खुलासा किया गया है”। काले धन की बड़ी धनराशि वैधानिक रूप से स्वीकार्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पादित की जाती है जो कि मुनाफे को कृत्रिम रूप से कम करके करों का भुगतान करने से बचने के लिए कानून एवं अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों के लिए न तो लेखांकित और न ही इसका खुलासा किया गया है।

मुनाफे को कम करने के सामान्य तरीकों में से एक खरीद लागत और विभिन्न खर्चों को बढ़ाना है। इस प्रकार के मामलों में, खातो में बड़े हुए खर्चों को दिखाने के लिए फर्जी बिल तैयार किये जा सकते हैं। इसमें पार्टियों से प्राप्त किये हुए फर्जी एवं बड़े हुए बीजक शामिल होते हैं, जो कि इन गैर-कानूनी सेवाओं के लिए फर्जी वाउचरों को तैयार करते हैं और सांकेतिक शुल्क चार्ज करते हैं। संस्थानों द्वारा बैंक/आरटीजीएस के माध्यम से दान प्राप्त करने के लिए फर्जी संव्यवहार का भी सहारा लिया जाता है और इसके बाद कमीशन काटने के बाद नकदी के रूप में दाता को वापस भेजा जाता है और पहचान से बचने के लिए कई परतों के माध्यम से संव्यवहार भेजा जाता है। यह बाजार में पुनः काले धन को बढ़ाता है।

6.2 आयकर विभाग की भूमिका

आयकर विभाग (आईटीडी) मुख्यरूप से काले धन की समस्या का प्रतिरोध करने के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के लिए, यह आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कर चोरी का पता लगाने और कर चोरी के दोषी पाए जाने पर दंडित करने के लिए यह संवीक्षा निर्धारण के उपकरणों के साथ-साथ सूचना आधारित जांच का उपयोग करता है। ऐसा करने में, आईटीडी गैर-हिसाबी काले धन के सृजन, संचयन और उपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईटीडी का अन्वेषण विंग प्रायः विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहित करता है, जांच करता है और एओ को इन निष्कर्षों की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इनके विषय में सूचित करता है।

87 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी द्वारा दिनांक 16 मई 2012 को काले धन पर श्वेत पत्र जारी किया गया था।

6.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.3.1 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा में फर्जी संव्यवहारों/अनुकूलित प्रविष्टियों की विस्तृत जांच की गई थी:

➤ आईटीडी के कोलकाता, अन्वेषण विंग द्वारा किये गए सर्वेक्षण के आधार पर (जनवरी 2015), तीन संस्थाओं (निर्धारितियों)⁸⁸ की अधिनियम की धारा 35(1)(ii)⁸⁹ के तहत 770 दानों को कवर करने वाली रिपोर्टें संबंधित एओज⁹⁰ को आगे सत्यापन के लिए (अक्टूबर 2015) प्रेषित की गई थीं। इन 770 दाताओं में से, हमने विस्तृत जांच के लिए तीन दान लेने वाली संस्थाओं के साथ 87⁹¹ का चयन किया था। आईटीडी ने 13 दाताओं से संबंधित निर्धारण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया था, जहां ₹ 15.94 करोड़ (दानों के 175 प्रतिशत की दर पर) की भारित कटौतियां अनुमत की गई थीं। निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत न करने के लिए कोई कारण नहीं दिये गये थे केवल एक मामले⁹² को छोड़कर जिनमें यह कहा गया था कि अभिलेख आयकर समायोजन आयोग (आईटीएससी) के पास थे।

➤ अन्वेषण विंग, मुम्बई ने फरवरी 2014 में कोलकाता अन्वेषण विंग को सूचना भेजी थी यह बताते हुए कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र के 55 निर्धारितियों ने मुम्बई की एक प्रविष्टि प्रदाता से फर्जी खरीद⁹³ प्रविष्टियों का लाभ उठाया

88 आईटी अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित, अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की भारित कटौती के लिए पात्र था जो अपने उद्देश्य के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एवं किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अन्य संस्थान के उपक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है। 01.04.2011 से वित्तीय अधिनियम 2010 द्वारा भुगतान की गई राशि का एक और एक चौथाई के लिए भुगतान की गई राशि से एक और तीन-चौथाई तक धारा 35(1)(ii) के तहत कटौती में वृद्धि हुई थी।

89 (i) स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एण्ड पोपुलेशन हेल्थ-पैन: AABAS4570M (ii) मातृवाणी इन्सटीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एण्ड एजुकेशन पैन: AABTM0125H और (iii) हर्बिक्योर हेल्थकेयर बाँयो हर्बल रिसर्च फाउन्डेशन पैन: AABCH4849J 2013-14 तक के निर्धारण वर्षों इस जांच में अन्तर्निहित थे।

90 पीसीआईटी-1 से 5, 8 से 17, 19 से 21, सेन्ट्रल-1 और 2, कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुडी, प्र. डीआईटी (इन्व) गुवाहाटी एवं डीआईटी (अ.कर), कोलकाता के तहत

91 पं. बंगाल अधिकारक्षेत्र से वि.व. 2010-11 से 2014-15 से संबंधित 770 दान दाताओं में से 440 वि.व 2010-11 से 2012-13 से संबंधित थे। हमने पीसीआईटी-1 पीसीआईटी-2, पीसीआईटी-3, पीसीआईटी-4, पीसीआईटी सेन्ट्रल-1 एवं पीसीआईटी सेन्ट्रल-2 (कोलकाता में स्थापित सभी पीसीआईटी) से संबंधित ₹ 25 लाख और अधिक मूल्य की संव्यवहार धनराशि रखते हुए वि.व. 2010-11 से 2012-13 अर्थात नि.व. 2011-12 से नि.व. 2013-14 से संबंधित 87 निर्धारितियों का चयन किया था। हमने अपने चयन को नि.व. 2013-14 तक ही सीमित किया क्योंकि नि.व. 2014-15 के अधिकतर मामलों में संवीक्षा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने की तिथि तक पूरी नहीं हुई थी। तीन दान दाता संस्थाओं के मामले में, लेखापरीक्षा जांच को नि.व. 2014-15 तक विस्तारित किया गया था क्योंकि नि.व. 2014-15 के इन मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही अन्य निर्धारण वर्षों के साथ पूरी कर ली गई थी।

92 नि.व. 2012-13 एवं 2013-14 के लिए एमटा कोल लि.।

93 कंपनियों/व्यक्ति जिन्होंने फर्जी आवास चलान जारी किये थे।

था। यह सूचना कोलकाता अन्वेषण विंग ने (फरवरी 2014) आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित पीसीजआईटी को भेजी थी।

➤ 55 निर्धारितियों जिन्होंने फर्जी खरीदों के लिए प्रविष्टियों का प्रयोग किया था, उनमें से 50 मामलों⁹⁴ के संबंध में निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये थे। हमने देखा कि विभाग ने 17 मामलों में फर्जी खरीदों के ₹ 18.10 करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि अस्वीकृत की थी और 18 मामलों में आंशिक रूप से अस्वीकृत दी थी। दो मामलों में, खरीदों की अनुमति को वास्तविक पाया गया था। तथापि, शेष 13 मामलों⁹⁵ में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

6.3.2 अन्वेषण विंग की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तीन संस्थानों अर्थात् स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एण्ड पोपुलेशन हेल्थ (स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स-एसएचजीएण्डपीएच), मातृवाणी प्रयोगिक अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (मातृवाणी संस्थान-एमआईईआरई) और हर्बिक्योर हेल्थकेयर बाँयो हर्बल रिसर्च फाउंडेशन (हर्बिक्योर हेल्थकेयर-एचएचबीआरएफ), को अधिनियम की धारा 35(1)(III) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में कटौती के उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के रूप में अनुमोदित किया गया था जो कि दाताओं, ब्रोकर और अनुकूल प्रविष्टि प्रदाताओं के साथ मिलीभगत में फर्जी दान प्राप्त कर रहे थे। फर्जी दान चैकों/आरटीजीएस के द्वारा लिये जा रहे थे और कमीशन लेने के बाद, और नकदी के रूप में समान राशि दान देने वालों को वापस किये गये थे, जैसेकि अन्वेषण निदेशालय कोलकाता के सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया। दान प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों का हिस्सा कुल राशि का आठ से दस प्रतिशत था और कुल राशि का दो से आठ प्रतिशत ब्रोकर के द्वारा चार्ज किया गया था।

आईटीडी के अन्वेषण विंग ने आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए एओज को अपने निष्कर्ष सूचित करता है। चयनित मामलों की हमारी जांच के दौरान, हमने देखा कि इस प्रकार के मामलों से कैसे निपटना है इस संबंध में एओ को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से कोई निर्देश एवं दिशानिर्देश

94 विभाग ने ₹ 319.17 लाख की फर्जी खरीदों वाले पांच मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे। एक मामले (मैसर्स पूष्करराज कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., नि.व. 2011-12) में, निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यद्यपि निर्धारितियों के पैर को सर्कल-3 गुवाहाटी से कोलकाता, वॉर्ड 10(4) को जून 2015 में हस्तान्तरित कर दिया गया था, निर्धारितियों के पिछले वर्षों के अभिलेख सर्कल-3, गुवाहाटी में पड़े हुए थे।

95 सितम्बर 2009 से मार्च 2016 के दौरान आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं 250/143(3)/147 के तहत निर्धारित क्रम सं. 10 (तालिका 6.5) के केवल एक मामले में जहां निर्धारितियों द्वारा आय कर की कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी और अन्य दो मामलों (क्रम सं. 12 और 13) में आय की रिटर्न से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये गये।

प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, कई मामलों में न तो एओज द्वारा अन्वेषण विंग की रिपोर्ट पर कार्रवाही की गई और न ही दाताओं द्वारा फर्जी खरीदों की कटौती के दावों को अस्वीकृति दी गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.3.3 फर्जी दान प्राप्त करने वाले निर्धारितियों की आय का कम परिवर्धन

फर्जी दान प्राप्त करने वाले तीन निर्धारितियों⁹⁶ में से, विभाग द्वारा केवल दो मामलों में संवीक्षा को पूरा किया गया और एक मामले (स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स) में आयकर निपटान आयोग द्वारा आदेश पारित⁹⁷ किया गया था। दो निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये निर्धारण अभिलेखों⁹⁸ की जांच पर, हमने पाया कि इन संस्थानों द्वारा अपने लाभ और हानि (पी एंड एल) खातों में दिखाये गए दान की धनराशि अन्वेषण विंग की रिपोर्ट में दिखाई गये दान से बहुत कम थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा कमीशन से अर्जित निर्धारितियों की आय के रूप में लाभ और हानि खातों के संबंध में केवल दस प्रतिशत दानों को ही माना गया था, और सभी मामलों में विभिन्नताओं के कारण जानने के लिए जांच की कोई अनुवर्ती कार्रवाही नहीं की गई थी। इस प्रकार, लाभ और हानि खातों में दान की कम सूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त दान से ₹ 24.09 करोड़ की आय का छिपाव जैसा नीचे तालिका 6.1 में ब्योरे दिये गये⁹⁹ है:

तालिका 6.1: दान से आय का छिपाव					(₹ लाख में)
क्र.सं.	निर्धारितियों का नाम	नि.व.	ला.एवं.हा. खाते के अनुसार दान	अन्वेषण विंग की रिपोर्ट के अनुसार दान	अन्तर
1.	हर्बिक्योर	2011-12	1599.78	1854.80	255.02
		2012-13	5145.55	7236.80	2091.25
	हेल्थकेयर	2013-14	एनए ¹⁰⁰	6231.17	0.00
		2014-15	7426.25	7149.25	0.00
2.	मातृवाणी इन्सटीट्यूट	2013-14	1848.66	1901.04	52.38
		2014-15	1341.02	1351.02	10.00
कुल					2408.65

96 अन्वेषण विंग की रिपोर्ट के अनुसार, हर्बिक्योर हेल्थकेयर द्वारा वि.व. 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्त किये गये दान, मार्थवानी इन्स्ट्यूट वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान और वि.व. 2011-12 से 2014-15 दौरान स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स।

97 वि.व. 2013-14 तक के लिए हर्बिक्योर हेल्थकेयर और मार्थवानी इन्स्ट्यूट के संबंध में हर्बिक्योर हेल्थकेयर के संबंध में नि.व. 2012-13 के अतिरिक्त, जहां धारा 143(3) के तहत पारित आदेश को संशोधित करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रस्ताव लंबित था। (दिसम्बर 2016)

98 नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के संबंध में जुलाई 2016।

99 नि.व. 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के लिए हर्बिक्योर हेल्थकेयर और नि.व. 2013-14 एवं 2014-15 के लिए मातृवाणी इन्सटीट्यूट।

100 विभाग ने मार्च 2016 में धारा 143(3) के तहत पारित आदेश को सम्मिलित करते हुए मैसर्स हर्बिक्योर हेल्थकेयर (नि.व. 2013-14 उपरोक्त तालिका के क्रम सं. 01) के मामले में निर्धारण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि यह उनके द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

नि.व. 2011-12 के मैसर्स हर्बिक्योर हेल्थ केयर के मामले में, विभाग ने बताया (जनवरी 2017) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके परिशोधन प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जबकि, मातृवाणी इन्सटीट्यूट के मामले में, विभाग ने (जनवरी 2017) बताया कि संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षित खाते के अनुसार दान से अधिक निर्धारिती द्वारा अतिरिक्त प्राप्ति के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पाया नहीं गया था और जांच रिपोर्ट में कुल आंकड़े के मुद्रण में गलती की संभावना थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्वेषण विंग ने अपनी रिपोर्ट में कुल आंकड़ों के समर्थन में फर्जी दाताओं की पूरी सूची प्रस्तुत की थी और इसलिये, मुद्रण में गलती की संभावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण विंग की सूची के अनुसार निर्धारण अभिलेखों में देखे गये लाभ और हानि खातों में क्रेडिट किए जाने वाले दान के अनुरूप राशियों के साथ दान दाताओं की प्रति-जांच करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

6.3.4 फर्जी दाताओं के विरुद्ध कार्रवाही को आरंभ नहीं करना

74 निर्धारितियों¹⁰¹ के निर्धारण अभिलेखों में यह देखा गया कि यद्यपि संबंधित एओज को काफी समय पहले अक्टूबर 2015 में अन्वेषण विंग की रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी, परन्तु निम्नलिखित 18 मामलों में (तालिका 6.2) रिपोर्ट के आधार पर एओज द्वारा कोई कार्रवाही प्रारंभ नहीं की गई जहां ₹ 31.79 करोड़ के कर प्रभावों वाले फर्जी दान की ₹ 98.22 करोड़ की भारित कटौती की अनुमति अधिनियम की धारा 35(1)(ii)¹⁰² के तहत दी गई थी।

101 लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए 87 मामलों में से, 13 मामले प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

102 आईटी अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, एक निर्धारिती एक अनुमोदित वैज्ञानिक शोध संस्था को भुगतान की गई किसी भी राशि की भारित कटौती के लिए योग्य है, जो अपने उद्देश्य के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एवं किसी विश्वविद्यालय कॉलेज एवं अन्य संस्थान के उपक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है। 01.04.2011 से प्रभावी वित्तीय अधिनियम, 2010 द्वारा भुगतान की गई राशि के एक और एक चौथाई के लिए भुगतान की गई राशि एक और एक तीन चौथाई तक धारा 35(1)(ii) के तहत कटौती में वृद्धि हुई थी।

तालिका 6.2: मामलों के ब्यौरे जहां एओज द्वारा फर्जी दान दाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।					(₹ लाख में)	
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम, पैन, नि.व.	निर्धारण प्रभार	फर्जी दान (भुगतान किया गया) की धनराशि	भारित कटौती (दान के 175प्रतिशत पर)	कर प्रभाव (ब्याज रहित)	
1	मैसर्स प्रगति विनियोग प्राइवेट.लिमिटेड ABCP4919R, नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-4, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-11(2))	50.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	87.50	28.39	
2	मैसर्स आर्यन माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रा.लि., AADCA7247B, नि.व. 2012-13	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-2, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-4(2)),	1000.00 (एसएचजी एण्ड पीएच) और 1200.00 (एचएचबीआरएफ)	3850.00	1249.13	
3	मैसर्स आर्यन माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रा.लि., AADCA7247B, नि.व 2013-14	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-2, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-4(2)),	950.00 (एचएचबीआरएफ), 850.00 (एमआईईआई) और 900.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	4725.00	1533.03	
4	मैसर्स एफ हार्ले प्रा. लि. AAACF3966D, नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-1, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-1(1)),	30.00 (एचएचबीआरएफ)	52.50	17.03	
5	मैसर्स आईसर्व सॉल्युशन एण्ड सर्विसेज प्र.लि. AABCI6158F नि.व 2012-13	पीसीआईटी-4, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-12(1)),	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	14.19	
6	मैसर्स जेके इंटरनेशनल ट्रेड प्र.लि. AABCJ6307K नि.व. 2012-13	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-2, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-4(2)),	80.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	140.00	45.42	
7	मैसर्स पैंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसियां लिमिटेड AABCP9346E नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-3, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-8(2))	50.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	87.50	28.39	
8	मैसर्स पैंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसियां लिमिटेड AABCP9346E AY 2013-14	पीसीआईटी-3, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-8(2))	150.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	262.50	85.17	
9	मैसर्स लोटस मर्चंडाइस प्राइवेट लिमिटेड AAACL5376P नि.व. 2012-13	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-1, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-2(3))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52	

10	मैसर्स एसोसिएटेड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड AACCA0754G नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-3, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-7(1))	30.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	52.50	16.22
11	मैसर्स कलश मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड AABCK1537C नि.व 2012-13	पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	42.50 (एसएचजी एण्ड पीएच)	74.38	24.13
12	मैसर्स नवरत्न विनिमय प्राइवेट लिमिटेड AACCN7752P नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-3, कोलकाता (आईटीओ वार्ड- 6(3))	40.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	70.00	21.63
13	मैसर्स एलाइड कैपिटल एंड इंवेस्टमेंट प्रा. लि. (AABCM8146R) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-1, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड- 1(4))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
14	मैसर्स ऑर्टेम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (AAACO3663L) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-1, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल- 2(3))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
15	मैसर्स तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (AACCT3687K) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-3, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड- 9(1)),	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
16	मैसर्स श्री वेंकटेश फिल्मस प्रा. लि. AA ECS8975P नि.व. 2013-14	पीसीआईटी- केन्द्रीय, कोलकाता 2 (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल 3(3)).	30.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	52.50	16.22
17	मैसर्स विष्णु कान्त मोहता AIBPM8796J नि.व. 2013-14	पीसीआईटी- केन्द्रीय, कोलकाता 2 (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल 3(3)).	60.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	105.00	32.45

18	मैसर्स एबीएस वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड AACCA7746E नि.व. 2013-14	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-1, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल- 2(3))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
----	--	---	--------------------------	-------	-------

कुल				9821.88	3179
------------	--	--	--	----------------	-------------

मैसर्स नवरत्न विनिमय प्रा.लि. (क्रम सं. 12) के संबंध में, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को (फरवरी 2017) स्वीकार कर लिया था और बताया कि धारा 148 के तहत उपचारात्मक उपाय के लिए प्रस्ताव प्र. सीआईटी-2, कोलकाता को भेजा गया था। मैसर्स एबीएस वाणिज्य प्रा. लि. (क्रम.सं. 18) के मामले में भी धारा 148 के तहत उपचारात्मक उपाय के लिए प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। आगे, मैसर्स एफ हार्ले एण्ड कंपनी प्रा. लि. (क्रम सं. 4) के मामले में, विभाग ने बताया कि धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाही शुरू की गई है। शेष मामलों में, कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था (फरवरी 2017)।

6.3.5 फर्जी दानों के लिए भारत कटौती की अस्वीकृति दिये बिना फर्जी दाताओं के विरुद्ध उपचारात्मक कार्रवाही पूरी की गई।

निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि फर्जी दाताओं के विरुद्ध फर्जी दानों के लिए भारत कटौती की अस्वीकृति दिये बिना निम्न मामलों में उपचारात्मक कार्रवाही को पूरा किया गया (तालिका 6.3):

तालिका 6.3: मामलों के ब्यौरे जहां फर्जी दानों के लिए भारत कटौती की अस्वीकृति दिये बिना एओ द्वारा उपचारात्मक कार्रवाही को पूरा किया गया					(₹ लाख में)
क्र. सं.	निर्धारित का नाम, पैन नि.व.	निर्धारण प्रभार	फर्जी दान और भुगतान की गई राशि	भारत कटौती की राशि (दान राशि के 175 प्रतिशत पर)	कर प्रभाव (ब्याज रहित)
1	मैसर्स इंडिकॉन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (पैन : AAACI5594E) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-3, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-9(1))	125.00 एसएचजीएण्डपीएच	218.75	70.97
2	मैसर्स चामोंग टी एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड AABCC3553E नि.व 2013-14	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	56.78

3	मैसर्स नरोत्तमका काँमोडिटीज प्रा. लि. AAACN8807B नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-1, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-2(2) एण्ड 4(2))	100.00 एसएचजीएण्डपीएच	175.00	56.78
4	मैसर्स सयकोटा टी कंपनी पी लिमिटेड AADCS5246A नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(2))	50.00 एचएचबीआरएफ	87.50	11.36
5	मैसर्स टोंगानगांव टी कंपनी प्रा. लिमिटेड AABCT1824D नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(2))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	56.78
6	मैसर्स चामोंग टी एक्सपोर्ट प्रा. लि. ¹⁰³ AABCC3553E नि.व. 2014-15	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	56.78
7	मैसर्स मौंड टी सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ¹⁰³ AACCN0710C, नि.व. 2014-15	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	22.71 ¹⁰⁴
कुल			675.00	1181.25	332.16

हमने पाया कि हर्बिक्योर हेल्थकेयर, मातृवाणी इन्सटीट्यूट एण्ड स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स (वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों) आयकर निपटान आयोग के समक्ष/निर्धारण कार्रवाइयों के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने दान के संबंध में चैक स्वीकार किए और स्वयं के लिए सेवा प्रभारों को रखने के बाद समान धनराशि वापस कर दी थी। सर्वेक्षण प्रचालनों के दौरान, अन्वेषण विंग ने भी नोटिस किया कि दान कभी-कभी एक से अधिक बिचौलियों के माध्यम से दान देने वालों को वापस दिये गये थे। इसलिये, अन्वेषण विंग के निष्कर्षों और आदाता संगठनों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती द्वारा कटौती दावे की अनुमति देने की कोई गुजांइश नहीं थी।

दो दान दाताओं¹⁰⁵ के मामले में विभाग ने (अगस्त 2016) उत्तर दिया था कि अन्वेषण विंग से प्राप्त की गई सूचना सामान्य प्रकृति की थी और अभिलेख में कोई मूर्त सामग्री एवं प्रमाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हर्बिक्योर हेल्थकेयर ने न केवल अन्वेषण विंग के

103 नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान इन निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाया गया था।

104 नियम 8 के अनुसार कर की गणना कारोबार आय के 40 प्रतिशत पर की गई थी।

105 मै. चामोंग टी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लि. (क्रम सं. 2 और 6) और मै. मौंड टी सीड कंपनी प्राइवेट लि. (क्रम सं. 7)

सामने बल्कि निर्धारण के दौरान स्वीकार किया था कि वे फर्जी दान प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्वेषण विंग की रिपोर्ट सामान्य प्रकृति की नहीं थी, इसमें कार्यप्रणाली के विस्तृत ब्यौरे और इसमें फर्जी दान दाताओं की सूची भी शामिल थी। इसके अलावा, आईटीडी ने कहा (फरवरी 2017) कि उपरोक्त मामले के लिए दोनों निर्धारितियों ने आयकर घोषणा योजना (आईडीएस) 2016 को अधिमानित किया था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स साईकोटा टी कंपनी (क्रम सं. 4 तालिका 6.3 में) के मामले में, विभाग ने बताया कि निर्धारिती ने आईडीएस 2016 के तहत 50 लाख रुपये के फर्जी दान की घोषणा की थी और इसे कर के लिए प्रस्तुत किया था। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि दान वास्तव में फर्जी थे और धारा 143(3) के तहत अपने आप संवीक्षा निर्धारण के दौरान अस्वीकृत किये जाने चाहिए थे।

6.3.6 उपचारात्मक कार्रवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया था

हमने पाया कि सक्षम प्राधिकारी ने अन्वेषण विंग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए धारा 147 के तहत पॉयनियर ऑनलाइन लि. (पैन AACCP7500K, नि.व. 2012-13, निर्धारण प्रभार पीसीआईटी-3 (वार्ड 7 (2) कोलकाता) के मामले को दोबारा खोलने के लिए निर्धारण अधिकारी के (फरवरी 2016) प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप फर्जी दान को अस्वीकृत करने और आय को पुनः निर्धारण के लिए कोई कार्रवाही नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार के अननुमोदन के कारण के विषय में यद्यपि विभाग से पूछा गया था (नवम्बर 2016), परन्तु लेखापरीक्षा को यह सूचित नहीं किया गया था (सितम्बर 2017)।

6.3.7 फर्जी खरीदों के लिए आंशिक अस्वीकृतियाँ

अधिनियम की धारा 69(सी) के प्रावधानों के अनुसार, जहां निर्धारिती किसी भी प्रकार का व्यय करता है परन्तु इस प्रकार के खर्च के स्रोत के विषय में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एओ की राय में संतोषजनक नहीं है, तो इस प्रकार के व्यय की राशि निर्धारिती की आय मानी जाय। इस प्रकार, जब एक बार यह स्थापित हो जाता है कि व्यय अस्पष्ट/फर्जी था, तो फर्जी व्यय की सम्पूर्ण राशि को सम्मिलित करना आवश्यक था। धारा 69 सी में आंशिक अस्वीकृति के लिए कोई गुजांइश नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 37 (1) के प्रावधानों के अनुसार, केवल कारोबार के उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय 'व्यवसाय अथवा कारोबार

के लाभ और प्राप्ति' के शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में अनुमत किया जायगा।

अन्वेषण विंग मुम्बई से प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए, फर्जी खरीदों के निम्नलिखित 18 मामलों (तालिका 6.4), में एओ द्वारा जांच की गई थी। यद्यपि, एओज द्वारा यह माना गया था कि निर्धारितियों ने फर्जी खर्चों की प्रविष्टियों का लाभ उठाया था, अस्वीकृतियां केवल आंशिक रूप से की गयी थी:

तालिका 6.4: फर्जी खरीदों के लिए आंशिक अस्वीकृति के मामलों के ब्यौरे। (₹ लाख में)				
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम, पैन, नि.व.	निर्धारण प्रभार	फर्जी खरीद की राशि	जोड़ी गई राशि और प्रतिशत
1	मैसर्स ओम फोर्जिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड AAACO3336L, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-1, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-3(3), कोलकाता)	72.84	2.39 (3.27 प्रतिशत)
2	मैसर्स ओम फोर्जिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड AAACO3336L, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-1, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-3(3), कोलकाता)	33.31	1.09 (3.28 प्रतिशत)
3	आनन्द मेहता AFGPM3766E, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(1), कोलकाता)	25.02	0.75 (3 प्रतिशत)
4	प्रेमलता टेकरीवाल ABSPT5997N, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	18.02	0.54 (3 प्रतिशत)
5	प्रमोद कुमार टेकरीवाल ABUPT3079K, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	280.94	8.43 (3 प्रतिशत)
6	सज्जन कुमार बंसल ADVPB8045Q, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-13, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-37(4), कोलकाता)	322.07	10.24 (3.18 प्रतिशत)
7	सज्जन कुमार बंसल ADVPB8045Q, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-13, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-37(4), कोलकाता)	453.09	14.41 (3.18 प्रतिशत)
8	संदीप कुमार टेकरीवाल AAFHS0739F, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	103.51	3.11 (3 प्रतिशत)

9	प्रमोद कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABUPT3079K, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	421.37	12.64 (3 प्रतिशत)
10	संदीप कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ AAFHS0739F, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	195.74	5.87 (3 प्रतिशत)
11	प्रेमलता टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABSPT5997N नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	54.13	1.62 (3 प्रतिशत)
12	प्रेमलता टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABSPT5997N, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	16.17	0.49 (3 प्रतिशत)
13	विनोद कुमार टेकरीवाल, एचयूएफ ¹⁰⁶ , AABHT3573Q, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(2), कोलकाता)	48.85	1.47 (3 प्रतिशत)
14	विनोद कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABVPT7683E, नि.व 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(2), कोलकाता)	49.54	1.49 (3 प्रतिशत)
15	विनोद कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABVPT7683E, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(2), कोलकाता)	3.11	0.09 (3 प्रतिशत)
16	सत्य प्रकाश शर्मा ¹⁰⁶ ALSPS5474C, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी -12, कोलकाता (एसीआईटी सर्कल-36)	165.37	3.72 (2.25 प्रतिशत)
17	सत्य प्रकाश शर्मा ¹⁰⁶ ALSPS5474C, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी -12, कोलकाता (एसीआईटी सर्कल-36)	12.68	0.29 (2.25 प्रतिशत)
18	सत्य प्रकाश शर्मा ¹⁰⁶ ALSPS5474C, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी -12, कोलकाता (एसीआईटी सर्कल-36)	443.19	9.97 (2.25 प्रतिशत)
कुल			2718.95	78.61

निर्धारण अभिलेखों से यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने अपने विवेकाधिकार के अनुसार अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर केवल आंशिक रूप से राशि अस्वीकृत की। सत्य प्रकाश शर्मा (नि.व. 2009-10 से 2011-12) के मामले के संबंध में, विभाग ने बताया (नवंबर/दिसंबर 2016) कि नि.व. 2009-10 के लिये धारा 147 के अंतर्गत मामले को पुनः खोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका था, जबकि

¹⁰⁶ इन निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियां नियमित अनुपालन लेखापरीक्षाओं के दौरान जारी की गई थीं।

नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिये, निर्धारण अधिकारी ने सभी खरीद की संवीक्षा की थी और निष्कर्ष निकाला था कि वे सही थीं और बेहिसाब खरीद के रूप में लाभ अनुपात में उन्हें आंशिक रूप से अनुमत किया गया था। एक तरफ विभाग ने कहा कि “प्रस्तुत किये गये सभी आधार के अनुसार खरीद सही थी और फर्जी नहीं थी” जबकि दूसरी ओर फर्जी खरीद हेतु आंशिक रूप से अस्वीकृति की गई थी।

6.3.8 फर्जी खरीद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

विभाग द्वारा निर्धारितियों द्वारा फर्जी खरीद की प्रविष्टियों का लाभ लेने के बारे में डीजीआईटी (आईएनवी), मुंबई से जानकारी प्राप्त होने के बावजूद निम्नलिखित मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

तालिका 6.5: मामलों का विवरण जहां जानकारी होने के बावजूद फर्जी खरीद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई				(₹ लाख में)
क्र. सं.	निर्धारित का नाम, पै. नि.व.	निर्धारण प्रकार	डीजीआईटी (आईएनवी), मुंबई द्वारा यथा सूचित फर्जी खरीद की राशि	कर प्रभाव (ब्याज छोड़कर)
क. संवीक्षा मामले जहां फर्जी खरीद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी				
1.	मैसर्स तिरुपति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, AABCT1849C नि.व. 2010-11	फाइबर्स एंड पीसीआईटी-4, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-10(1), कोलकाता),	165.15	56.13
2.	मैसर्स किलबर्न लिमिटेड AABCK3421H नि.व. 2009-10	इंजीनियरिंग पीसीआईटी-1, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-1(1), कोलकाता)	26.56	9.03
3.	मैसर्स किलबर्न लिमिटेड AABCK3421H नि.व. 2011-12	इंजीनियरिंग पीसीआईटी-1, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-1(1), कोलकाता)	667.27	221.65
कुल			858.98	286.81
ख. संवीक्षा न किये गये मामले जहां फर्जी खरीद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी				
4.	मैसर्स गोल्डविन लिमिटेड AABCG7693R नि.व. 2009-10	ट्रैकॉन प्राइवेट पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-6(1), कोलकाता)	70.38	21.75

5.	मैसर्स गोल्डविन ट्रेकॉन प्राइवेट लिमिटेड AABCG7693R नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-6(1), कोलकाता)	43.22	13.35
6.	मैसर्स गोल्डविन ट्रेकॉन प्राइवेट लिमिटेड AABCG7693R नि.व. 2011-12.	पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-6(1), कोलकाता)	0.89	0.28
7.	आनंद मेहता AFGPM3766E नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ वार्ड 30(1), कोलकाता)	23.71	7.33
8.	आनंद मेहता AFGPM3766E नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ वार्ड 30(1), कोलकाता)	31.03	9.59
9.	प्रमोद कुमार टेकरीवाल ABUPT3079K नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	230.41	71.20
10.	क्वेस्ट यूनाइटेड नि.व. 2011-12	AAAQ1740P (आईटीओ, वार्ड-28(2), कोलकाता)	0.11	0.04
11.	संदीप कुमार टेकरीवाल AAFHS0739F नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	190.98	59.01
12.	वीकेश ताराचंद मेहता ALHPM4119J नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-8, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-23(3), हुगली)	99.37	30.71
13.	वीकेश ताराचंद मेहता ALHPM4119J नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-8, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-23(3), हुगली)	64.58	19.95
कुल			754.68	233.21

हमने देखा कि आईटीडी ने ऐसे सभी मामलों से निपटने के लिये समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया था क्योंकि तालिका 6.5 में उल्लिखित मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि तालिका 6.4 में उल्लिखित मामलों को पुनः खोला गया और फर्जी खरीद को आंशिक रूप से अस्वीकृत किया गया था। कार्रवाई नहीं करने के कारणों को विभाग से पूछा गया था लेकिन लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे (फरवरी 2017)।

6.4 निष्कर्ष

निर्धारण अधिकारी मनमाने ढंग से अपने अधिकार से; जो उनको नहीं दिया गया था फर्जी लेनदेनों से संबंधित राशि स्वीकृत या अस्वीकृत कर रहे थे। फर्जी दान से संबंधित अन्वेषण विंग की रिपोर्टों को कुछ मामलों में ध्यान में नहीं रखा गया था, जबकि अन्य मामलों में, इन जाली दानों या फर्जी खरीदों की राशि की अस्वीकृति करके कोई उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। कुछ मामलों में, अस्वीकृतियां केवल आंशिक रूप से की गई थीं, जहां पूर्ण रूप से अस्वीकृति की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई।

